आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
29-11-2023	**वाद सं0–52/2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री रतनलाल स्वांसी एवं अन्य, पं0–गुड़जोरा, प्र0+जिला–खूँटी वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी आयोग कार्यालय में उपस्थित। पिछली सुनवाई 17.11.2023 को हुई थी, जिसमें आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी को निदेश दिया था कि शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची में जिन लोगों का नाम दर्ज है, उनको हर माह ससमय जितनी मात्रा में अनाज मिलनी थी उतनी मात्रा में अनाज उपलब्ध करा दिये जाने एवं शिकायतकर्ता रतनलाल स्वांसी की जितनी शिकायतें है वो तथ्यपरक है या तथ्यहीन इस बात की जांच कर जांच प्रतिवेदन समर्पित करें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी जांच प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए एक सप्ताह का समय मांग रहे हैं। इस बीच शिकायतकर्ता ने आयोग को ये बताया कि पिछली सुनवाई के बाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जांच तो नहीं की गई लेकिन जांच के संदर्भ की जानकारी डीलर तक पहुँच गई जिस कारण डीलर इलाके के उन लोगों को प्रभावित करने में लगे हैं जिनके संदर्भ की जांच की जानी है। आयोग इस विषय को गंभीरता से लेते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश देता है कि वो अब जांच प्रतिवेदन समर्पित करने के साथ–साथ इस आशय का भी स्पष्टीकरण आयोग को पेश करें कि आयोग ने उन्हें जांच प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए कहा गया था लेकिन जांच से पहले जांच के संदर्भ की सूचना डीलर तक कैसे पहुँची। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का स्पष्टीकरण यदि संतोषजनक नहीं रहा तो आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई करने को बाध्य होगा। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश देता है कि सभी 52 लोगों को यदि जांच में कम अनाज दिये जाने या अनाज नहीं दिये जाने की पुष्टी होती है तो उन सभी को जितने अवधि का अनाज नहीं दी गई है या कम दी गई है, वो सवा गुणा मुआवजे के साथ अनाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अगली सुनवाई तक यदि आयोग के आदेश का अनुपालन का प्रमाण नहीं पेश किया जायेगा तो आयोग NFSA की धाराओं के तहत् में कार्रवाई करने को बाध्य होगा। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–15.12.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–15.12.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	
:\Premlata\Court.docx47		